In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 29/SLSA- 88-98, dated March 15, 1999 for general information;\:

No. 29/SLSA- 88-98

March 15, 1999

In exercise of the powers conferred by Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) the Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following regulations:

THE TEHSIL LEGAL SERVICES COMMITTEES REGULATION, 1997

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

1. These regulation may be called the Tehsil Legal Services Committees Regulations, 1999.

2. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Uttar Pradesh Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires-

a. "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987);

b. "Aided person" means a person who has been provided Legal Aid, Legal Advice or Legal Services in any form;

c. "Chairman" mean's the Chairman of Tehsil Legal Services Committee;

d. "Committee" means the Tehsil Legal Services Committee;

e. "District Authority" means District Legal Services Authority of the district constituted under section 9;

f. "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग–7

संख्या 29/एस.एल.एस.ए.- 88/98

15 मार्च, 1999 ई.

अधिसूचना

सा.प.नि.- 23

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते है।

तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 ई0

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियमावली तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) से है;

(ख) "सहायता प्राप्त" व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसको विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई हों;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है;

(घ) "समिति" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति से है;

g. "Member" means a member of the Tehsil Legal Services Committee;

h. "Rules" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996, framed under the Act;

i. "Secretary" means the Secretary of the Tehsil Legal Committee;

j. "State Authority" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6.

CHAPTER II

Secretary Members and Functions of the Committee

3. Secretary of the Committee

1. The Tehsildar of the concerned Tehsil, shall work as Secretary of the Committee in addition to his own duties. He may be paid hnorarium of Rs. 300/- per month for the perfomance of the functions and duties as Secretary.

2. The Secretary shall be the principal officer of the Committee, he shall--

a. be the custodian of all the assets, accounts, records, grants, funds and receipts. He shall work under the supervision and directions of the Chairman of the Committee and District Authority;

b. maintain or cause to be maintained true and proper acounts of receipts and disbursements of the funds of the Committee in such form and in such manner as may be specified by the State Authority;

c. exercise such powers and perform such functions and duties as may be assigned to him by the Chairman of the Committee and of the District Authority.

d. perform all other acts as may be expedient and necessary for efficient and proper discharge of the duties and functions of the Committee.

4. Term of office and other conditions of the members

(ङ) "जिला प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-9 के अधीन गठित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य से है;

(ज) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 से है;

(झ) "सचिव" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव से है;

(ञ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय दो

समिति के सचिव, सदस्य और कृत्य

3. समिति का सचिव

1. सम्बन्धित तहसील का तहसीलदार, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त समिति के सचिव का कार्य करेगा। सचिव के कार्य एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये उसे 300.00 रू. प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

2. सचिव, समिति का मुख्य अधिकारी होगा। वह

(क) समिति की समस्त आस्तियों, लेखों, अभिलेखों, अनुदान, निधियों और प्राप्तियों का अभिरक्षक होगा, वह समिति के अध्यक्ष और जिला प्राधिकरण के परिवीक्षण एवं निर्देशन के अधीन कार्य करेगा;

(ख) समिति की निधियों को प्राप्तियों और संवितरणों का सही और उचित लेखा ऐसे रूप में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, रखेगा या रखवायेगा;

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा समिति के अध्यक्ष और जिला प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपा जाये;